भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

Ref No: 154-155 **Dated:25-01-2021**

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु प्रथम ई–निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के विभिन्न दुग्ध शीत केन्द्रों पर दुग्ध समितियों से **ANNEXURE V**(भाव पत्र) अनुसार 5 दुग्ध संकलन मार्गों पर दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2024 तक, 7 दुग्ध संकलन मार्गों पर दिनांक 01.05.2021 से 30.04.2024 तक एवं 1 पर दुग्ध संकलन मार्ग पर दिनांक 01.06.2021 से 31.05.2024 तक कुल 13 मार्गों पर 3 वर्ष की अवधि हेतु दूध परिवहन कार्य के लिए पंजीकृत निर्धारित क्षमता के वाहनों के लिए ऑन–लाईन प्रथम ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 10,000/– प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से ऑन–लाईन ईएमडी जमा कराना अनिवार्य होगी। ईएमडी की मूल रसीद एवं वाहन होने की दशा में वाहन पंजीयन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण जॉंच रिपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा फूड लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति तथा नवीन वाहन हेतु ईएमडी की मूल रसीद एवं रूपये 100/– के स्टेम्प पेपर पर वाहन उपलब्ध कराने का नोटराइज्ड निर्धारित शपथ पत्र ,आधार कार्ड, पेन कार्ड फूड लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति भौतिक रूप से जमा किये जाने वाले तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके अनुबंधित अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व अनुमोदित दर व शर्त पर की जा सकेगी। **लोडिंग वाहन माडल 2017 या उसके बाद का होना चाहिए।**

दुग्ध शीत केन्द्र के नाम	वहन की निर्धारित परिवहन क्षमता	ई–निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक/समय	ई–निविदा क्रय हेतु अन्तिम दिनांक/समय	ई–निविदा खोलने का दिनांक/समय
शुजालपुर/बैतूल/लटेरी/पचमा/विदिशा/सोहागपुर	20 केन (1.0 टन) 30 केन (1.5 टन) 40 केन (2.0 टन) 55 केन (2.5 टन) 75 केन (3.5 टन) 120 केन(6.0 टन)	दिनांक 29.01 2021 को दोपहर 12:00 बजे से	दिनांक 20.02.2021 को दोपहर 1:00 बजे तक	दिनांक 22.02.2021 को दोपहर 1:00 बजे तक

निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण(निविदा कार्यक्रम/मार्गों की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्ते/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाईट www.sanchibhopal.com एवं www.mpcdf.gov.in पर देखी जा सकती है, तथा निविदा बेबसाईट www.mptenders.gov.in के माध्यम से भरी जा सकती है। समस्त निविदाऐं या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन या शुद्धि किये जाने पर वेबसाईट में ही परिवर्तन किया जायेगा अन्य किसी माध्यम में नहीं, अतः नियमित रूप से से एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchibhopal.com एवं www.mpcdf.gov.in देखें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 250/–

–: निविदा प्रपत्र :–

निविदा कार्यः–

1. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुग्ध समितियों से दुग्ध परिवहन कर डेयरी संयंत्र /दुग्ध शीतकेन्द्रों तक दुग्ध परिवहन अवधि 3 वर्ष हेतु ई–निविदा।

ई–निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	: 29.01.2021 को दोपहर 12:00 बजे से
ई–निविदा क्रय एवं जमा हेतु अंतिम दिनांक एवं समय	: 20.02.2021 को दोपहर 1:00 बजे तक
भौतिक रूप से निविदा कार्यालय में जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	: 22.02.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक
तकनीकी ई–निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय	: 22.02.2021 को दोपहर 1:00 बजे
पत्राचार हेतु पताः–	: भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल–462024(म.प्र.)

निविदाकार द्वारा तकनीकी निविदा प्रपत्र को Online एवं Offline लिफाफे में भेजना होगा।

(अ) धरोहर राशि (EMD)	– (Submit online)
(ब) Technical Bid	– Online एवं Offline
(स) निविदा प्रपत्र (Price Bid)	– केवल Online भेजे

नोटः– सभी निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑन लाईन जमा की गई धरोहर राशि (EMD) की मूल रसीद भौतिक रूप से भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर भौतिक निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में जमा करें। निविदा प्रपत्र Price Bid को online एवं Technical bid को Online एवं Offline माध्यम से ही भेजा जावे।

ANNEXURE I	: निविदा नियम एवं शर्ते
ANNEXURE II	: अनुबंध पत्र प्रारूप।
ANNEXURE III	: फार्म – A
ANNEXURE IV	: नवीन वाहन हेतु शपथ पत्र – B
ANNEXURE V	: भाव पत्र।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ANNEXURE -I

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
दुग्ध परिवहन निविदा प्रस्तुत करने बावत् नियम एवं शर्ते

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, द्वारा विभिन्न मार्गो से दुग्ध संकलन, शीत केन्द्र/आरएमआरडी, तक परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों को कृपया ध्यान से पढ़ लेवें।

2. (i) निविदा के साथ रूपये 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से पृथक–पृथक ऑन लाईन जमा करना होगी।

   (ii) सुरक्षा निधि अनुमानित एक माह के भुगतान देयक के समतुल्य रहेगी। सुरक्षा निधि बावत् अन्य कोई भी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।ऑन लाईन जमा की गई(EMD)रूपये 10,000/– प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से पृथक–पृथक मूल रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

3. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।

4. तकनीकी निविदा भौतिक रूप से दिनॉक 22.02.2020 दिन के 12:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में स्वीकार की जावेगी। इसके लिए कार्यालयीन घड़ी का समय ही मान्य होगा।

5. निविदा प्रस्तुत करने के दिनॉक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत व्यावसायिक वाहन हो अथवा ऐसे निविदाकार जो वर्ष 2021 का नवीन वाहन उपलब्ध करा सके, वे निविदा भरने के पात्र होगें। वाहन होने की दशा में निविदाकार द्वारा स्वयं की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकरारनामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नही किया जावेगा। केवल आर.टी.ओ. द्वारा जारी हस्तानन्तरण सम्बंधी दस्तावेज ही पंजीकृत वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा। नवीन वाहन हेतु रूपये 100/– के स्टैम्प पेपर पर वाहन उपलब्ध कराने का नोटराइज्ड निर्धारित शपथ पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत रजिस्टेशन की सत्यापित प्रति एवं ऑन–लाईन जमा ईएमडी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा में सम्मिलित नही किया जावेगा।

6. वाहन ठेकेदार को कार्यादेश देने के पूर्व औपचारिकताऐं पूर्ण करने बाबत् निम्न बिन्दुओं अनुसार पत्र जारी किया जाएगा :–

   कृपया औपचारिकताएं दिनांक ....या इसके पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि कार्यादेश जारी करने हेतु कार्यवाही की जा सकें :–

   1. निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी जानकारी अनुसार वाहन मॉडल/वर्ष का होना आवश्यक है। इस हेतु वाहन का पंजीयन, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण जांच रिपोर्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की स्व प्रमाणित प्रति जो कि शीत केन्द्र प्रबंधक/प्रबंधक(क्षे.सं.) से मूल प्रति देखकर सत्यापित हो। संघ कार्यालय को दिनांक .... या इसके पूर्व पुष्टि/निरीक्षण हेतु फाईल में उपलब्ध करावें।
   2. कार्य आरम्भ करने हेतु सफल निविदाकार निर्धारित अनुबंध पत्र में रू. 1000/– के नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबंध पत्र दिनांक .... या इसके पूर्व तक निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
   3. अनुबंध पत्र की कण्डिका 30 एवं 32 अनुसार शपथ पत्र रूपये 100/– के स्टैम्प पेपर पर अलग–अलग प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
   4. सुरक्षा निधि रू. 10,000/– की डी.डी. कार्यालय में ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित'' के नाम बनाकर भी दिनांक .... या इसके पूर्व कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

   उपरोक्त औपचारिकताएं दिनांक .... या इसके पूर्व तक पूर्ण न करने पर ई.एम.डी. राशि जब्त कर निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं संघ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण दायित्व डिफाल्टर निविदाकार का होगा।

7. निविदाकार द्वारा बिन्दु क्रमांक 06 अनुसार निर्धारित दिनांक तक औपचारिकताऐं पूर्ण न करने की दशा में निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

8. निविदा में दर निर्धारण करते समय एक मार्ग पर दो या दो पात्र निविदाकारों द्वारा समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाकर, आवंटन आदेश जारी किया जाएगा। नवीनतम माडल को प्राथमिकता दी जावेगी।

9. निविदाकार के पास स्वयं के नाम पर पंजीकृत व्यावसायिक वाहन होने पर वाहन का पंजीयन, बीमा, पेन कार्ड, फिटनेस, एवं ऑन–लाईन जमा ईएमडी की रसीद, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीयन, प्रदूषण जॉच रिपोर्ट एवं अन्य समस्त वैध दस्तावेज की सत्यापित प्रति निविदा पत्र के साथ तकनीकी बिड वाले लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। नवीन वाहन हेतु रूपये 100/– के स्टैम्प पेपर पर वाहन उपलब्ध कराने का नोटराईज्ड निर्धारित शपथ पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत रजिस्टेशन की सत्यापित प्रति एवं ऑन–लाईन जमा ईएमडी रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में सम्बंधित मार्ग को निविदा में सम्मिलित नही किया जावेगा

10. दुग्ध परिवहन हेतु वाहनों के डीजल, कर्मचारियों पर व्यय, टोल टैक्स एवं अन्य सभी प्रकार के खर्च परिवहनकर्ता को करने होगें एवं निविदाकारों द्वारा दुग्ध वाहन संचालन में लगने वाले सभी व्ययों का समावेश कर केवल प्रतिकिलोमीटर वाहन की ही दरें ऑन–लाईन प्रस्तुत की जाना होगी।

11. निविदा में निर्धारित मार्ग में दूरी की कमी/वृद्धि की जा सकेगी, जिसका भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार घटी/बढ़ी दूरी के अनुपात में कम/अधिक भुगतान किया जावेगा।

12. निविदा में सम्मिलित पार्टियों में से प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की अमानत राशि को रोककर शेष निविदाकारों की अमानत राशि अधिकतम 30 दिवस में वापिस की जावेगी। प्रथम न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा सेवा प्रदाय की स्थिति में द्वितीय निविदाकार की अमानत राशि दो माह में वापिस की जावेगी।

13. निविदा सभी मार्ग तथा किसी भी एक मार्ग के लिए अस्वीकृत की जा सकती है ।

14. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्तें/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।

15. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र भौतिक निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफे में देना होगा।

16. दुग्ध संघ की ऐसी पंजीकृत दुग्ध समितियॉ, जो दुग्ध परिवहन लोडिंग वाहन, मार्केटिंग वाहन आदि क्रय एवं संचालन करने में सक्षम तथा इच्छुक है, तो वे समितियों भी ई–निविदा में भाग ले सकतीं है।

17. निविदा समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी को रहेगा। सक्षम अधिकारी यदि चाहे तो किसी भी समय सकारण निविदाऐं निरस्त करके पुनः आमंत्रित करने अथवा नस्तीबद्ध करने का निर्णय लेने में सक्षम होगा।

18. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/– का एक अंश प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगें। संघ के साथ व्यापारिक सम्बंध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेगें।

19. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गो पर तीन निविदायें प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर (विगत अनुबंधित दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गो पर निविदाकर्ताओं से समझौतावार्ता के आधार पर निर्धारित

दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियमानुसार होगा। दुग्ध संकलन मार्ग में निविदा में प्राप्त दर की तुलना गत निविदा के अंतिम भुगतान के देयक की दर से की जावेगी।

20. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदाऐं प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर(विगत अनुबंध दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौता वार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियमानुसार होगा। ऐसे दुग्ध संकलन मार्ग जिस पर निविदा में प्राप्त दर गत वर्ष की प्रारंभिक निविदा दर (डीजल दर वृद्धि/कमी)/वर्तमान दर (गत एक वर्ष की औसत दर) के समतुल्य/कम पाई जाती है तो समस्त अर्हताऍं पूर्ण होने पर उस मार्ग पर समझौता वार्ता नहीं कराई जावेगी ।

21. चतुर्थ निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर, गतवर्ष की अनुमोदित दरों के बराबर अथवा कम है, तब न्यूनतम 3 निविदा का बंधन नही रहेगा। कुछ निविदाकार द्वारा विभिन्न मार्गों हेतु दरें प्रस्तुत की जाती है। ऐसी स्थिति में 3 निविदाकार नही होने पर भी निविदाकार की दरें खोलने से उनके द्वारा प्रस्तुत सभी मार्गों की दरें दर्शित हो जाती है। ऐसी स्थिति में 3 निविदा का बंधन नही रहेगा।

22. निविदाकार द्वारा निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन अपेक्षित सेवाएं प्रदान नही करता है तो दुग्ध संघ द्वारा आदेश निरस्त किया जाकर, निविदाकर्ता को एक वर्ष हेतु काली सूची में डाला जावेगा तथा निविदा की प्रतिभूति राशि एवं सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी।

23. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24. नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौती बिल में से की जायेगी यदि निविदाकार की कर योग्य सकल आय कर निर्धारण सीमा से कम हो तो उसे आयकर अधिकारी से आयकर का कटौत्रा न करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

25. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में निविदाकर्ता का कोई निकट का रिश्तेदार माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री आदि नही होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर एवं जॉच में सही पाये जाने पर निविदाकार द्वारा भरी गई समस्त प्रतिभूति राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

26. **अ)** भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार वाहन ठेकेदार को संबधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/प्रतिभूति से वसूल की जावेगी। जिसकी पूर्ण जवावदारी वाहन ठेकेदार की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा।

    ब) वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। गणवेश का व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा ।

27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा।

28. किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।

29. जिन संस्थाओं द्वारा सीलड केन दी जावेगी, उसे उसी स्थिति में केनों को दुग्ध शीत केन्द्र/आरएमआरडी ....पहुॅचाना होगा। सील टूटी होने पर समितियों के दूध कमी की राशि की वसूली दुग्ध परिवहन देयक से की जावेगी।

30. मार्ग की दूरी अनुमानित है तथा इसमें समितियों की कमी/वृद्धि के साथ कमी/वृद्धि हो सकती

है। मार्ग की दूरी तथा संकलन के अनुसार वाहन व्यवस्था पुनरीक्षित की जा सकती है तथा मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है एवं एक शीत केन्द्र से दूसरे शीत केन्द्र पर भी परिवर्तित किया जा सकता है।

31. जिन दुग्ध संकलन मार्गो पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित हो रहें है अथवा किया जाना है, एवं दुग्ध वाहन के स्थान पर दुग्ध टैंकर से दूध लाने की संभावना है। साथ ही शासन की योजना के तहत अन्य जिन मार्गों पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित होगें, वहॉ से टैंकर द्वारा दुग्ध संकलन की संभावना है। ऐसे मार्गो के दुग्ध परिवहन वाहन को कार्य से पृथक किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

32. शटल मार्गों को सुविधा अनुसार अन्य मार्गों में भी जोड़ा जा सकता है।

33. वाहन ठेकेदार को वाहन अनुबन्ध प्रारम्भ होने के एक माह के अन्दर संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप मे संघ के सन्तुलित पशुआहार सुदाना, साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन अनुबन्धित वाहन पर लिखवाना होगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

34. दुग्ध संकलन परिवहन के अनुबन्धित वाहनों पर पीछे हुड पर अनुबन्ध अवधि मे त्रिपाल आवश्यक रूप से लगानी होगी, अन्यथा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप आर्थिक दण्ड लिया जावेगा एवं इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी किया जावेगा।

35. अनुबन्धित वाहन मे ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। ईधन के रूप मे अन्य (घासलेट,मिलावटी डीजल या गैस) का उपयोग वर्जित माना जावेगा।

36. आयकर विभाग से यदि स्थायी लेखा संख्या नम्बर लिया है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। पेन नम्बर के अभाव मे परिवहन देयक का भुगतान करना संभव नहीं होगा।

37. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वंय के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नही करने पर प्रतिदिन रू. 100/— की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं मे भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

38. निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत होने पर संलग्न अनुबंध पत्र में उल्लेखित शर्तों को मान्य कर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

39. निविदा/अनुबंध पत्र की किसी भी शर्त में कोई संशोधन करने, नई शर्त जोड़ने या उल्लेखित शर्तों में आंशिक संशोधन करने या उसे शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रहेगा।

40. निविदा को आंशिक/पूर्ण स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, के पास सुरक्षित रहेगा, एवं यह अन्तिम होकर सभी को स्वीकार्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

ANNEXURE - II

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल एवं दुग्ध संकलन परिवहन निविदाकार के मध्य दुग्ध संकलन परिवहन हेतु किये जाने वाला अनुबंध

अनुबंधकर्ता का फोटो

1000/-रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) .... सहकारी दुग्ध संघ मर्या., ...अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं। एवं द्वितीय पक्षकार (निविदाकार) .... श्री/श्रीमती .... निवासी .... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती से है सहकारी दुग्ध संघ मर्या., ... द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी . . . ./दुग्ध शीतकेन्द्र . ... तक एवं आरएमआरडी . . . ./दुग्ध शीतकेन्द्र . . . . से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुॅचाने हेतु परिवहन करने वास्ते प्रथम पक्षकार(...........सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ...) से वाहन का पंजीयन क्रमांक .... हेतु द्वितीय पक्षकार द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है और प्रथम पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तो पर द्वितीय पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रूपये ------अक्षरी रूपये -------------------- प्रति कि.मी. /प्रतिट्रिप पर अग्रलिखित समस्त शर्तो के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षो को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्गो पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. **अ)** यह ठेका अवधि दिनांक .... से दिनांक .... तक प्रभावशील रहेगी।
ब) निविदा अवधि 3 वर्ष होगी। उक्त निविदा अवधि पूर्ण होने एवं कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जावेगी।

02. इन शर्तो को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा। शर्तो में जहॉ-जहॉ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य .... डेयरी या शीत केन्द्र से . . . . होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।

03. प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहॅूचाने एवं दुग्ध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी/दुग्ध शीतकेन्द्र तक लाने की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी द्वितीय पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी संस्था का दुग्ध न लाने की दशा में द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना प्रथम पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जॉच करने पर प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पांईट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पांईट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेंगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में द्वितीय पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी, एवं किया गया कटौत्रा वापस नहीं किया जावेगा।

04. प्रथम पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशुआहार, घी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, घी टीन/पेकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टींग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है इसका लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नही की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

05. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और प्रथम पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो द्वितीय पक्ष को उन पालियों का कोई भाडा देय नही होगा।

06. निर्धारित समय से संस्थाओं का दूध डेरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेरी पर वाहन के समय पर नही पहूँचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु प्रथम पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है, एवं प्रथम पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टे/फट्टे दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

07. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।

08. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्या–कृत्य जिनके लिये स्वयं द्वितीय पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हों, को छोड़कर) जो द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा मे खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।

09. क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/ द्वितीय पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या–कृत्यों का पंचनामा बनाकर द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिए दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि द्वितीय पक्ष को वापिस की जा सकेगी।

10. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।

11. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः द्वितीय पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

12. द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।

14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा यह दण्ड अधिकतम् उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

15.(अ) पशुआहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा। समिति पाईन्ट पर उतारने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशुआहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर जार/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा।

(ब) पशुआहार/घी/मिनरल मिक्सचर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी, एवं हानि होने पर द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जा सकेगी।

(स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशुआहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशुआहार की राशि एवं साथ ही रूपये 100.00 प्रति बेग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।

(द) पशुआहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर द्वितीय पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रूपये 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशुआहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहूँचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय द्वितीय पक्ष के देयक से काटा जावेगा।

16. संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें द्वितीय पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से

वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दुग्ध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नही किया जाता है एवं केन बीच में उतारता हैं तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तर दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा दुरूपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।

(अ) द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या–कृत्य के लिये प्रथम पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। द्वितीय पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जबावदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करना होगी।

(ब) द्वितीय पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/ कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

17. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशो का पालन न करने की दशा में प्रथम पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण प्रथम पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी द्वितीय पक्ष के देयक से वसूल कर लें।

18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लें। यदि कटौत्रा शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गो पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गो को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे–बढे, उसे स्वीकृत दर से भाडे का भुगतान किया जावेगा।
साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गो में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनो का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नही किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से संबंद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20. अनुबंधित वाहनो पर पीछे हुड पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फट्टे दूध की हानि राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दंड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी द्वितीय पक्ष के देयक से किया

जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिडकने की व्यवस्था भी द्वितीय पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।

21. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जॉच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते है या किसी भी प्रकार की अनियमितताऐं करते पाए जाते है, मार्ग में पडने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार द्वितीय पक्ष रहेगा। यह राशि द्वितीय पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी प्रथम पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षो तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार द्वितीय पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी ।

23. द्वितीय पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि द्वितीय पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं प्रथम पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये द्वितीय पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।

24. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगें।

25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने उतारने, सामान की देखरेख करने एवं केनो पर पानी छिडकने आदि का कार्य भी द्वितीय पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।

26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटो में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा ।

27. दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाऐं जिसमें दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है एवं सुदाना, पशुआहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।

28. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

29. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

30. द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती /कुं. .... संबंध .... उम्र .... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. .... को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को देगा।

31. द्वितीय पक्ष तथा प्रथम पक्ष के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

32. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में द्वितीय पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, भाई बन्धु नहीं है यह तथ्य द्वितीय पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।

33. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाऐं जावेगे। वह हर समय गाडी के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देगें। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश द्वितीय पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

34. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं हैं और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरो से भाडा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।

(अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु द्वितीय पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ मे प्रतिदिन जमा करानी होगी।

(ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदे डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।

(स) दिये गये दूध एवं दूध प्रदार्थो की पावती संघ में लाकर देनी होगी।

(द) समय पर दूध एंव दूध प्रदार्थ नही पहुचानें की स्थिति मे सम्पूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

35. स्थानीय, मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेगें, वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेगें एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।

36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा कार्यआदेश निरस्त कर EMD राजसात कर ली जावेगी।

37. द्वितीय पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था

करने में द्वितीय पक्ष असफल होता है, तो प्रथम पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह द्वितीय पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वेकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग द्वितीय पक्ष करता है, तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि द्वितीय पक्ष के देयक से काटने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

38. दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा किसी भी स्थिति में केनो के ऊपर केन रखने की अनुमति नही दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगी।

39. वाहन में दुग्ध से भरे केनो की क्षमता निम्नानुसार होगी।

मोटर सायकिल	04 केन
जीप/टेम्पों/या समान क्षमता का वाहन	20 केन
टाटा एसीई/मिनीडोर/वेन	30 केन
पिकअप या समान क्षमता का वाहन	40 केन
मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन	55 केन
टाटा 407 या समान क्षमता का वाहन	75 केन
टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समान क्षमता का वाहन	85 केन

अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रूपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

40. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 1 से दिनांक 15 तक का देयक द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।

41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लिप एवं एडवाईज पहुँचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुँचाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रूपये 5.00 एवं दण्ड़ स्वरूप द्वितीय पक्ष के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फेट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनो में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फेट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताऐ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यो में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहॅुचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डाक/शीतकेन्द्र तक पहॅुचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।

45. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

क्रं.	वाहन का प्रकार	क्षमता	औसत प्रति लीटर
1.	टेम्पों/	20 केन (1.0 टन)	30 कि.मी.
2.	टाटा एसीई/मिनीडोर/वेन	30 केन (1.5 टन)	22 कि.मी.
3.	पिक–अप/मेटाडोर	40 केन (2.0 टन)	15 कि.मी.
4.	ट्रेक्टर	55 केन (6.0 टन)	07 कि.मी.
5.	टाटा 407 एवं समान क्षमता	75 केन (3.5 टन)	10 कि.मी.
6.	टाटा 608, 609 709 आयशर माजदा	85 केन (4.0 टन)	08 कि.मी.
7.	टाटा 807/मिनी ट्रक	120 केन (6.0 टन)	06 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तद्नुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी माह में एक बार की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी। मोटर सायकिल वाहन की दरों में डीजल/पेट्रोल की दरों में कमी/वृद्धि नही दी जावेगी।

46. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष स्वयं को ही रखना होगा।

47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2–3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

48. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

49. डेयरी संयंत्र/शीतकेन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीतकेन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अन्तर की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जा सकेगी।

50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

51. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पेन नंबर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

52. द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नही चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

53. परिवहन देयक से चार पहिया वाहन हेतु रू. 15.00 तथा छः पहिया वाहनों हेतु रू. 20.00 प्रतिदिन केन रख–रखाव कटोत्रा किया जावेगा।

54 द्वितीय पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

55. दुग्ध परिवहन हेतु अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (GPS System) वाहन ठेकेदार को स्वयं के व्यय से लगवाना अनिवार्य होकर उसे चालू स्थिति में रखने की समस्त जवाबदारी होगी। यदि जी.पी.एस. सिस्टम खराब होता है तो उसे स्वयं के व्यय से 24 घण्टे में रिपेयर करवाकर चालू करना अनिवार्य रहेगा, ऐसा नही करने पर प्रतिदिन रू. 100/– की पेनल्टी लगाई जावेगी। लगातार जी.पी.एस. सिस्टम खराब रहने पर अनुबंध निरस्ती की कार्यवाही की जा सकेगी तथा ऐसे वाहन ठेकेदार को आगामी दो वर्ष तक संघ की निविदाओं मे भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

56. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा।

मैं .... द्वितीय पक्षकार अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभॉति एवं होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

प्रथम पक्ष	**द्वितीय पक्ष**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, **सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**	**हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता** .... **नाम** .... **पिता/पति का नाम** .... **पता** .... **दूरभाष क्रं.** .... **मोबाईल नम्बर** .... **स्थाई लेखा संख्या पेन** ....

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

1 हस्ताक्षर ——————————————
नाम ————————————————
पता ————————————————
मो0 नं. ——————————————
आई.डी. प्रूफ ——————————
2 हस्ताक्षर ——————————————
नाम ————————————————
पता ————————————————
मो0 नं. ——————————————
आई.डी. प्रूफ ——————————

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

1 हस्ताक्षर ——————————————
नाम ————————————————
पता ————————————————
मो0 नं. ——————————————
आई.डी. प्रूफ ——————————
2 हस्ताक्षर ——————————————
नाम ————————————————
पता ————————————————
मो0 नं. ——————————————
आई.डी. प्रूफ ——————————

<u>नोटः–</u> उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र
सील सहित

फार्म A ANNEXTURE -III

(नोट :— निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेगें।)

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपकायें एवं स्वप्रमाणित हस्ताक्षर करना होगें जो आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज, भोपाल

विषय :— दुग्ध परिवहन वाहन।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा प्रकाशित सूचना को एवं इस दस्तावेज को भली—भांति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज मेरे द्वारा से डाउन लोड किया है ।

1. मैं इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।
2. मैं मार्ग क्रमॉक . . . . . मार्ग का नाम— . . . . शीत केन्द्र का नाम—. . . . . .हेतु परिवहन दर भर रहा/रही हूँ।
3. मेरा विवरण निम्नानुसार है :—

क्रं.	विवरण	विवरण
3.1	निविदाकार का पूरा नाम	
	पिता का नाम	
	पता :—	
	मोबाईल नम्बर	
	ई—मेल	
3.2	प्रस्तुत वाहन का प्रकार	
	वाहन का माडल वर्ष	
	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
	वाहन की क्षमता	
	वाहन का बीमा क्रमांक	
3.3	तकनीकी बिड के साथ Online जमा की गई वांछित अर्नेस्ट मनी का रसीद नम्बर।	
3.4	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक	
3.5	निविदा फार्म क्रय किये जाने/बेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद/ड्राफ्ट विवरण।	बैंक ड्राफ्ट/मनी रसीद का नम्बर जारी करने वाले बैंक/कार्यालय का नाम दिनांक राशि

1. मेरी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूर्ति राशि दुग्ध परिवहन निविदा अन्तर्गत राजसात की गई है। यदि हॉ तो विवरण दें। हॉं/नही
2. क्या आपको दुग्ध संघ द्वारा निविदा भरने या कार्य से प्रतिबंधित किया गया था। हॉं/नही

यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे परिवहन कार्य सौपा जाता है तो मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूँ।

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता/करती हूॅ कि मुझे किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय एजेन्सी ने निविदा प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नही किया है/सम्बंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से वंचित नही किया है। यदि उपरोक्तानुसार शपथ में जानकारी असत्यता/त्रुटि पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्ती योग्य होगी। मैं इसके द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूॅगा/रहूॅगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पता . . . .

फार्म B ANNEXTURE –IV

(नोट :– निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्कैन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेगें।)

नवीन वाहन हेतु रूपये 100/–रू. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

/// शपथ–पत्र ///

मैं. .... आत्मज .... निवासी ....तहसील.........................जिला....................शपथपूर्वक कथन करता हूॅ कि :–

01. यह कि मैं .... प्रदेश का मूल निवासी हूॅ तथा उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करता हूॅ।
02. यह कि मेरे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल में दुग्ध संकलन परिवहन कार्य के लिए ई–निविदा हेतु आवेदन किया गया है। लेकिन मेरे पास वर्ष 2017 या उसके बाद का पंजीकृत वाहन उपलब्ध नही है।
03. यह कि यदि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मेरे द्वारा वर्ष 2021 का नवीन...वाहन आपके नियमों एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित दिनांक एवं समय तक उपलब्ध कराया जावेगा।
04. यह कि मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध नही कराता हूॅ तो दुग्ध संघ द्वारा नियमानुसार की जाने वाले कार्यवाही हेतु सहमत हूॅ।
05. यह कि शपथ पत्र उपरोक्त तथ्यों की सत्यतास्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है।

शपथग्रहित

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूॅ कि उक्त सहमति में चरण क्रमांक 01 से 05 लगातार कही गई बातें एवं जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। जिसका सत्यापन आज दिनांक .... को स्थान .... में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथग्रहित

अनुबंध पत्र की कंडिका 32 के तहत शपथ–पत्र

100/– रू. मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर प्रमाणित

शपथ – पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरा नाम... पिता/पत्नी श्री... उम्र................ वर्ष, जाति........................ निवासी....................................... तहसील.................... जिला..................... म.प्र. का/की हूँ।
2. मुझे संघ के आदेश क्रमांक.................. दिनांक................... के द्वारा कैम्प...................... में मार्ग क्रमांक....................... पर अपना वाहन ....क्रमांक....................... को स्थाई रूप से संचालन करने हेतु औपचारिकताऐं पूर्ण करने बाबत् पत्र प्राप्त हुआ है।
3. मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी होकर शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्यों में मेरा कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्री, भाई–बन्धु नही हैं इस तथ्य के संबंध में मेरे द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर जांच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह स्थाई अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर लें।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

स्थान ....

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक पूरे होश–हवाश में सत्य कथन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में क्रमांक 01 से 03 तक लगातार कथन मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता**

स्थान ....

<u>नॉमिनी हेतु अनुबंध–पत्र की कंडिका 30 के तहत शपथ–पत्र</u>

100/– रू. मूल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टेम्प पर प्रमाणित

<u>शपथ – पत्र</u>

1. मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पत्नी श्री.................. .... उम्र................ वर्ष, जाति....................... निवासी.. तहसील.................... जिला..................... म.प्र. का शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ ।
2. यह कि द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/कुमारी............................ पिता/पत्नी श्री......................... . निवासी.............................. को संघ के आदेश कमांक................. दिनांक................... द्वारा कैम्प..................... के मार्ग कमांक................. पर अपना वाहन कमांक......................... अनुबंधित/संचालित करने हेतु औपचारिकताऐं पूर्ण करने बाबत् पत्र प्राप्त हुआ है एवं मेरा उनसे................................ का सम्बंध हैं।
3. यह कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.................................. पिता/पत्नी श्री................................. उम्र............... वर्ष.................. निवासी.................................. पूर्ण होश–हवाश में घोषित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................. द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत संघ से व्यवहार करने हेतु मैं अपनी वारिस होने की स्वीकृति देता/देती हूँ।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता(नामिनी)**

स्थान ....

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक पूरे होश–हवाश में सत्य कथन करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में कमांक 01 से 03 तक लगातार कथन मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य हैं।

दिनांक .... **हस्ताक्षर शपथकर्ता(नामिनी)**

स्थान ....

दिनॉक 01.04.2021 से 31.03.2024 तक (तीन वर्ष की अवधि हेतु)

क	शीत केन्द्र का नाम	संकलन मार्ग क्रमांक / मार्ग कोड़	संकलन मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी कि. मी. प्रति पाली	वांछित वाहन	न्यूनतम केन क्षमता (40ली.)	दर रू. प्रति कि.मी
1	लटेरी	42ब / 1602	दौलतपुरा–पोरिया–नरसिंहपुर–मूडरासागर	100	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
2	सोहागपुर	37स / 1706	राजपिपरिया–सेमखेड़ा–सोहागपुर	141	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
3	बैतूल	51ब / 1902	बीएमसी आमलानाद्रा–मासोद–बोरगांव–मालेगांव	80	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
4	आष्टा	206	आर्या–झरखेड़ा–बीएमसी	19	एसीई या समकक्ष	30 केन	
5	पचमा	1503	रिटेहरी–गढायला बीएमसी	96	मोटर सायकिल	4 केन	

दिनॉक 01.05.2021 से 30.04.2024 तक (तीन वर्ष की अवधि हेतु)

क	शीत केन्द्र का नाम	संकलन मार्ग क्रमांक / मार्ग कोड़	संकलन मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी कि. मी. प्रति पाली	वांछित वाहन	न्यूनतम केन क्षमता (40ली.)	दर रू. प्रति कि.मी
1	विदिशा	1305	बरखेड़ा माखू–विदिशा	164	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
2	पचमा	1501	अंबानगर–मढिया पोनिया बीएमसी	128	एसीई या समकक्ष	30 केन	
3	पचमा	1502	स्वरूपनगर–गढ़ायला बीएमसी	90	एसीई या समकक्ष	30 केन	
4	पचमा	1506	पेराखेडी–मेहलुआ चौराहा शटल मार्ग	90	एसीई या समकक्ष	30 केन	
5	सोहागपुर	36स / 1703	शिवपुर–पामली–सोहागपुर	80	एसीई या समकक्ष	30 केन	
6	शुजालपुर	20अ / 2208	मांदलाखेडी–शुजालपुर	115	407 या समकक्ष	75 केन	
7	शुजालपुर	20ब / 2209	चाकरोद–शुजालपुर	85	407 या समकक्ष	75 केन	

दिनॉक 01.06.2021 से 31.05.2024 तक (तीन वर्ष की अवधि हेतु)

क	शीत केन्द्र का नाम	संकलन मार्ग क्रमांक / मार्ग कोड़	संकलन मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी कि.मी. प्रति पाली	वांछित वाहन	न्यूनतम केन क्षमता (40ली.)	दर रू. प्रति कि.मी
1	शुजालपुर	23ब / 2212	गोदना–शुजालपुर	84	टाटा 407	75 केन	